न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–302/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम ओम प्रकाश कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
31/01/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1038/म0नि0को, दिनांक–17.10.2019 से प्राप्त विशनपुर थाना कांड सं0–90/19 दिनांक 14.07.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR33AG-5134 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी ओम प्रकाश कुमार, पिता–उत्तम सहनी, ग्राम+पो0–जटमलपुर तीरा, थाना–कल्याणपुर, जिला–समस्तीपुर को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल गश्ती के दौरान हनुमाननगर पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक लड़का पल्सर मोटरसाईकिल से कल्याणपुर के तरफ से आ रहा था जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पूछताछ के क्रम में पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम ओम प्रकाश कुमार, पिता–उत्तम सहनी बताया। तत्पश्चात् उक्त मोटरसाईकिल के सीट पर बंधा हुआ उजला बोरे की विधिवत् तलाशी लिए तो बोरे से रॉयल स्टैग कम्पनी की बिक्री हेतु हरियाणा अंकित 180*ml* का 11 बोतल शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत् उक्त मोटरसाईकिल चेसिस नं0–MDZA11CYZKCL11630 के साथ जब्त किया गया। उक्त वाहन का परिहवन कार्यालय से सत्यापन कराया गया तो पकड़ाये व्यक्ति ओम प्रकाश कुमार के नाम से निबंधित है, जिसका रजि0 नं0– BR33AG-5134 है। इस प्रकार उक्त वाहन का चौर्य व्यापार के नीयत से परिवहन किया जा रहा था। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्त का कथन है कि बिशनपुर थाना कांड सं0–90/19 दिनांक 14.07.2019 विपक्षी के विरूद्ध गलत दर्ज किया गया है। विपक्षी के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस द्वारा अभियुक्त बना दिया गया। विपक्षी के द्वारा वाहन की विमुक्ति हेतु दिनांक 07.08.2019 को विशेष न्यायाधीश, दरभंगा के समक्ष वाद दायर किया गया, जिसमें I.O. से प्रतिवेदन मांगा गया, परन्तु प्रतिवेदन नहीं दिया गया। अतः दाखिल कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन	

से स्पष्ट है कि विपक्षी वाहन स्वामी के द्वारा उक्त मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR33AG-5134 से 180*ml* का कुल 11 बोतल अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था, जिसे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस बल द्वारा पकड़ा गया तथा विधिवत् उक्त मोटरसाईकिल को जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपने कथन तथा दाखिल कारण पृच्छा के समर्थन में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया, जिससे के उनके दावे को बल मिलता हो।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में विशनपुर थाना कांड सं0–90/19 दिनांक 14.07.2019 में जब्त वाहन मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR33AG-5134, चेसिस नं0–MDZA11CYZKCL11630 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा